

सामुदायिक अधिकार और वन संरक्षण

यह एडिटरियल 13/11/2023 को 'द हट्टू' में प्रकाशित ["Community rights and forest conservation"](#) लेख पर आधारित है। इसमें वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में चर्चा की गई है, जहाँ इसके लक्ष्यों, संबद्ध चुनौतियों और वनों के मूल नविसायियों पर इसके परिणामों के संबंध में विशेष रूप से विचार किया गया है।

प्रलिस के लिये:

[वन \(संरक्षण\) संशोधन अधिनियम 2023](#), [शुद्ध शून्य उत्सर्जन](#), [राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान \(NDC\)](#), [वन अधिनियम 1927](#), [वास्तविक नयितरण रेखा \(LAC\)](#), [नयितरण रेखा \(LoC\)](#), [प्रतपूरक वनीकरण](#), [EIA](#)

मेन्स के लिये:

वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम के लाभ, संशोधन से संबंधित प्रमुख मुद्दे, अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिये आगे की राह।

हाल ही में पारित वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 भारत में वन संरक्षण को नयितरति करने वाले एक प्रमुख पर्यावरण कानून 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980' में महत्वपूर्ण वधायी परिवर्तन लेकर आया है। हालाँकि, इस पर सीमति ध्यान दिया गया है और वनों एवं उनके नविसायियों पर इसके प्रभाव के बारे में बहुत कम चर्चा हुई है।

संशोधन के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- **प्रस्तावना का प्रवेश:**
 - संशोधन अधिनियम वन (संरक्षण) अधिनियम में एक उद्देशिका या **प्रस्तावना (Preamble)** को शामिल करता है।
 - यह प्रस्तावना वर्ष 2070 तक **शुद्ध शून्य उत्सर्जन** प्राप्त करने, वर्ष 2030 तक **राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान (NDC)** लक्ष्यों को पूरा करने और भारत के वन एवं वृक्ष आवरण को इसकी भूमिक्षेत्र के एक तहिई भाग तक वसितारति करने की देश की प्रतबिद्धता को आधिकारिक तौर पर स्वीकार या चहिनति करती है।
- **अधिनियम के दायरे में आने वाली भूमि:**
 - संशोधन के अनुसार, वन कानून अब विशेष रूप से **वन अधिनियम 1927** के तहत वर्गीकृत क्षेत्रों पर और उन क्षेत्रों पर लागू होगा जिन्हें 25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद इस रूप में नामति किया गया था। यह अधिनियम उन वनों पर लागू नहीं होगा जिन्हें 12 दसिंबर 1996 को या उसके बाद गैर-वन उपयोग के लिये रूपांतरति किया गया था।
 - इन संशोधनों का उद्देश्य दर्ज वन भूमि, नजिी वन भूमि, वृक्षारोपण आदि पर अधिनियम के अनुप्रयोग को सुव्यवस्थति करना है।
- **भूमि की छूट प्राप्त श्रेणियाँ:**
 - वधियक में वनों के बाहर वनीकरण और वृक्षारोपण को प्रोत्साहति करने के लिये कुछ छूट का प्रस्ताव किया गया है।
 - उदाहरण के लिये, सड़कों और रेलवे के कनारे स्थति बसतियों एवं प्रतषिठानों के लिये कनेक्टविटी प्रदान करने हेतु 0.10 हेक्टेयर वन भूमि, सुरक्षा से संबंधति अवसंरचना के लिये 10 हेक्टेयर तक भूमि और **वामपंथी उग्रवाद** प्रभावति ज़िलों में सार्वजनिक उपयोगति परयोजनाओं के लिये 5 हेक्टेयर तक वन भूमि प्रस्तावति है।
 - इन छूटों में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, **वास्तविक नयितरण रेखा (LAC)**, **नयितरण रेखा (LoC)** आदिके 100 कमी के भीतर क्रयान्वति राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधति रणनीतिक परयोजनाएँ शामिल हैं।
- **वन भूमिका पट्टा:**
 - अधिनियम के तहत, राज्य सरकार को सरकार के स्वामतिव या नयितरण से रहति किसी भी इकाई को वन भूमि आवंटति करने के लिये केंद्र सरकार की पूरव-मंजूरी की आवश्यकता है।
 - अधिनियम के तहत, यह शर्त सभी इकाइयों पर लागू होती है, जनिमें सरकार के स्वामतिव एवं नयितरण वाली इकाइयों भी शामिल हैं। इसके लिये यह भी आवश्यक है कि पूरव अनुमोदन केंद्र सरकार द्वारा नरिधारति नयिमाँ और शर्तों के अधीन हो।
- **वन भूमि में अनुमत गतिविधियाँ:**
 - यह अधिनियम वनों को अनारक्षति (de-reservation) करने या गैर-वन उद्देश्यों के लिये वन भूमिका उपयोग करने को प्रतबिधति करता


है। ऐसे प्रतर्बिंध केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से हटाए जा सकते हैं।

- अधिनियम कुछ गतविधियों को नरिदषिट करता है जिन्हें गैर-वन उद्देश्यों से बाहर रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि ऐसे गैर-वन उद्देश्यों के लिये वन भूमि के उपयोग पर प्रतर्बिंध लागू नहीं होगा।
- इन गतविधियों में वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, प्रबंधन एवं विकास से संबंधित कार्य शामिल हैं, जैसे चेक पोस्ट, फायर लाइन या बाड़ का नरिमाण और वायरलेस संचार स्थापति करना।

■ केंद्र सरकार की प्रत्यायोजति वधिान की शक्ति का वसितार:

- संशोधन से पहले, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजति वधिान का नरिमाण कर सकने की शक्ति केवल नयिम बनाने तक ही सीमति थी।
- अधिनियम के प्रावधानों के उचित प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजति वधिान का नरिमाण कर सकने की शक्ति का वसितार कथिा गया है और अब इसे कसिी भी केंद्रीय सरकारी प्राधकिरण, राज्य सरकारों, संघ कषेत्रों या उनके द्वारा मान्यता प्राप्त कसिी संगठन, इकाई या नकिया को 'नरिदेश' (directions) जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।

//



वन संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2023 के प्रमुख लाभ क्या हैं?

■ 'वन' (Forest) की परिभाषा पर स्पष्टता:

- संशोधन वन की परिभाषा को स्पष्ट करता है जो 'डीमंड फॉरसेट' और विविध व्याख्याओं के संबंध में मौजूद अस्पष्टता को संबोधित करता है।
- संशोधन अस्पष्टता का समाधान करते हुए केवल अधिसूचित और दर्ज वनों के लिये FCA अनुप्रयोग को स्पष्ट करता है।
- छूट (जो पहले से ही व्यवहार में है) को अब वैधानिक समर्थन प्राप्त है, जो सार्वजनिक उपयोगिताओं, राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं और नागरिक हितों के लिये स्पष्टता प्रदान करता है।

■ जलवायु परिवर्तन शमन और संरक्षण:

- इसका उद्देश्य NDCs और कार्बन तटस्थता की देश की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतर्बिधताओं को प्राप्त करना, अस्पष्टताओं को समाप्त करना एवं विभिन्न भूमियों के संबंध में अधिनियम की प्रयोज्यता के बारे में स्पष्टता लाना, गैर-वन भूमि में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना आदि है।

■ विकास के प्रावधान:

- संशोधन को गोदावर्न थरिमुलपाद मामले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और नजिी भूमि मालिकों, संगठनों एवं व्यक्तियों के वरिोध (जो तर्क देते हैं कि वन संरक्षण कानून औद्योगिक प्रगत में बाधा डालते हैं) में प्रासंगिक रूप प्रदान कथिा गया है।
- यह अधिनियम कुछ वन कषेत्रों को कानूनी अधिकार कषेत्र से हटाकर, विविध उपयोगों की अनुमति देकर (रैखिक परियोजनाओं एवं सुरक्षा अवसंरचना सहित) आर्थिक शोषण की सुवधि प्रदान करेगा।

■ राष्ट्रीय सुरक्षा:

- अधिनियम कुछ रैखिक अवसंरचना परियोजनाओं (जैसे कि सड़क एवं राजमार्ग) को वन मंजूरी की अनुमति लेने से छूट देता है यदि वे राष्ट्रीय सीमा के 100 कमी के भीतर स्थित हैं।
- इससे सीमावर्ती कषेत्रों में अवसंरचना के विकास में मदद मिलने की उम्मीद है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये महत्वपूर्ण है।

■ प्रतर्पिरक वनीकरण:

- यह संशोधन प्रतर्पिरक वनीकरण को बढ़ावा देता है, जहाँ नजिी संस्थाओं को वनीकरण या पुनर्वनीकरण परियोजनाएँ शुरू करने की अनुमति दी गई है।

■ स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना:

- यह विधियक **चड़ियाघरों** की स्थापना, सफारी और इकोटूरजिम जैसी गतविधियों को प्रोत्साहित करता है, जिनका स्वामित्व सरकार के पास होगा और इन्हें संरक्षित कषेत्रों के बाहर अनुमोदित योजनाओं में स्थापति कथिा जाएगा।
- ये गतविधियों न केवल वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाती हैं बल्कि स्थानीय समुदायों के लिये आजीविका के

अवसर भी पैदा करती हैं और उन्हें समग्र विकास के साथ एकीकृत करती हैं।

संशोधन से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ क्या हैं?

■ वनों को पुनः परभाषित करना:

- इस अधिनियम ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1996 के एक आदेश में परभाषित वन की पहले से मौजूद परभाषा से वरीधाभास पैदा कर दिया है, जहाँ कहा गया था कि किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज वृक्षों की कोई भी पट्टी स्वतः 'डीमड फॉरेस्ट' बन जाएगी।
- पंजाब स्थिति पब्लिक एक्शन कमेटी (PAC) के अनुसार, मौजूदा अधिनियम में इस संशोधन के तहत परभाषा के संशोधन के कारण भारत के वनों के लगभग 1/5 से 1/4 भाग ने अपनी कानूनी सुरक्षा खो दी है।

■ अवसंरचनात्मक अतिक्रमण:

- राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों के पास भूमि को छूट देने से पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्र और वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- चड़ियाघरों, पर्यावरण-पर्यटन सुविधाओं एवं टोही सर्वेक्षणों जैसी परियोजनाओं के लिये पूर्ण छूट से वन भूमि और वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

■ जनजातीय अधिकारों की उपेक्षा:


- यह संशोधन गैर-वन उद्देश्यों के लिये वनों में परिवर्तन हेतु आदवासी/जनजातीय ग्राम सभा से पूर्व सहमतिप्राप्त करने की आवश्यकता को हटा देता है।
- नज्जी कंपनियों को **इकोटूरजिज्म** के लिये वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति जनजातीय समुदायों की आजीविका की कीमत पर कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा दे सकती है।
- बड़े पैमाने पर पर्यटन के कारण स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

■ 'टॉप-डाउन ऑथोरिटी':

- संशोधनों ने नज्जी, लाभ-संचालित कंपनियों या फर्मों द्वारा संभावित वन दोहन और केंद्र सरकार के हाथों में अधिक शक्ति को समेकित कर राज्य सरकारों की चिंताओं की उपेक्षा करने के बारे में चिंता उत्पन्न की है।

■ मानव-पशु संघर्ष:

- यदि वन भूमि पर अवसंरचना विकास की अनुमति दी गई तो **मानव-पशु संघर्ष** बढ़ जाएगा।
- यह संशोधन जनजातीय बस्तियों में बढ़ते मानव-पशु संघर्षों को संबोधित नहीं करता है, जो आजीविका और वन्य जीवन दोनों के लिये खतरा पैदा करता है।



क्या हो आगे की राह?

■ हतिधारक परामर्श:

- चिंताओं को संबोधित करने और विविध दृष्टिकोणों को शामिल करने के लिये पर्यावरण विशेषज्ञों, जनजातीय समुदायों, स्थानीय हतिधारकों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ व्यापक परामर्श में संलग्न हुआ जाए।
- नरिण्य लेने में समावेशिता, स्थानीय भागीदारी और पारदर्शिता पर बल दिया जाए।

- **नरिणय लेने में पारदर्शता:**
 - हतिधारकों के बीच भरोसे को बढ़ावा देते हुए वन भूमि उपयोग, छूट और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से संबंधित नरिणय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शता सुनिश्चित करें।
- **आवधिक समीक्षा तंत्र:**
 - वनों, जैव विविधता एवं स्थानीय समुदायों पर अधिनियम के प्रभाव का आकलन करने और नषिकर्षों के आधार पर आवश्यक समायोजन करने के लिये एक सुदृढ़ आवधिक समीक्षा तंत्र स्थापित करें।
 - फीडबैक और उभरती परस्थितियों के आधार पर अधिनियम में संशोधन पर वचिर करें, ताकि उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति समावेशिता एवं प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।
- **स्थानीय समुदायों का सशक्तीकरण:**
 - स्थानीय समुदायों, वशिषकर जनजातीय समूहों को नरिणय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल कर, उनके पारंपरिक ज्ञान को पहचानकर और वन संसाधनों से समान लाभ सुनिश्चित कर सशक्त बनाएँ।
 - स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिये कानूनी सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना, वन भूमि से उनके ऐतहासिक संबंध को स्वीकार करना और संरक्षण प्रयासों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA):**
 - प्रस्तावित परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का व्यापक आकलन करने के लिये EIA प्रक्रिया को सुदृढ़ करें, जहाँ पारस्थितिक क्षति को न्यूनतम करते हुए सतत विकास सुनिश्चित हो सके।
- **संघर्ष समाधान तंत्र:**
 - अधिनियम से उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिये कुशल संघर्ष समाधान तंत्र स्थापित करना; सभी हतिधारकों को चिताओं को व्यक्त करने और समाधान की मांग कर सकने के लिये एक उचित मंच प्रदान करना।
 - प्रासंगिक अधिकारियों के लिये क्षमता निर्माण में नविश करें, अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें, दशानरिदेशों का पालन करें और सक्षम नरिणय लें।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान और नगरानी:**
 - सूचित नीति समायोजन के लिये डेटा-संचालित अंतरदृष्टिका उपयोग करते हुए वन पारस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और जलवायु लक्ष्यों पर अधिनियम के प्रभाव की नगरानी के लिये वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।
 - अनुकूली प्रबंधन रणनीतियाँ विकसित करें जो अप्रत्याशित चुनौतियों और उभरती पर्यावरणीय परस्थितियों का जवाब दे सकने में लचीलापन प्रदान करें।

नषिकर्ष

राष्ट्रीय विकास का मार्ग एक सामूहिक अभियान होना चाहिये, जो पर्यावरणीय संवहनीयता के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता से चहिनति हो जो प्रगत की दशा में लगातार मार्गदर्शन करता हो। वन संरक्षण अधिनियम इस जटिल संतुलन को कायम करने की क्षमता के साक्ष्य के रूप में कार्य करता है, जो एक ऐसे भवषिय का मार्ग प्रशस्त करता है जहाँ एक समृद्ध राष्ट्र एक संपन्न पर्यावरण के साथ सहज रूप से सह-अस्तित्व में रह सकता है।

अभ्यास प्रश्न: वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 से जुड़े लाभों एवं प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये। यह संशोधन एक ऐसे क्रम के संचालन में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जहाँ विकास और पर्यावरणीय संवहनीयता राष्ट्रीय प्रगत की दशा में एक-दूसरे का सक्रिय रूप से समर्थन कर सकती हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजिये: (2019)

1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार, वन नविसयियों को वन क्षेत्नों में उगने वाले बाँस को काट गरिने का अधिकार है।
2. अनुसूचित जनजात एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार, बाँस एक गौण वनोपज है।
3. अनुसूचित जनजात एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, वन नविसयियों को गौण वनोपज के स्वामतित्व की अनुमति देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

???

“वभिन्न प्रतयोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतगित वरिधाभासों के परणामस्वरूप पर्यावरण के ‘संरक्षण तथा उसके नमिनीकरण की रोकथाम’ अपर्याप्त रही है।” सुसंगत उदाहरणों सहति टपिपणी कीजयि।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/community-rights-and-forest-conservation>

